

**तत्काल/अति आवश्यक**

प्रेषक

महानिदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी,  
जिला शिक्षा अधिकारी।


यादी क्रमांक 31/3-2018 A/C(4)  
दिनांक पंचकूला: 25.01.2019

**विषय:- Providing Vehicles for DEO/Deputy DEO's and BEO's on hiring basis for the year 2018-19**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ उप-जिला शिक्षा अधिकारियों व खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए गाड़िया किराये पर लेने हेतु निदेशालय द्वारा अलॉट की गई राशि को दिनांक 31.03.2019 तक खर्च करने की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1. जिन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किराये पर गाड़िया लेने हेतु अभी तक E-Tendering बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई है व जिन जिलों में ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया कार्यवाही में है परन्तु पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है, उन जिला शिक्षा अधिकारियों को Offline Tender के माध्यम से गाड़िया हायर करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी वित्त वर्ष 2019-2020 में उक्त स्कीम में जारी की जाने वाली स्वीकृति के लिए E-Tendering की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष 2018-2019 की समाप्ति से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में अगर कोई तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो जिले में स्थित NIC/ADC कार्यालय तथा निदेशालय के IT CELL से सम्पर्क करें।
3. जिन जिला शिक्षा अधिकारी/उप-जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड जिला शिक्षा अधिकारी के पास On Record running सरकारी गाड़ी नहीं है तो वह भी इस स्कीम के अर्न्तगत गाड़ी हायर कर सकेंगे, इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी अधिकारी के पास ड्यूल चार्ज है तो वह केवल एक पद के विरुद्ध ही गाड़ी हायर करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारियों को उक्त वर्णित खर्च के इलावा सरकारी वाहन की मुरम्मत हेतु राशि एक ही मद (-98-DEOs Establishment (Fields Staff) -21 Motor Vehicle) के तहत राशि, खर्चों के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुये अंशुदित की जाती है, बावजूद इसके कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा गाड़िया किराये पर लेने हेतु जारी की गई राशि को गाड़ियों की रिपेयर इत्यादि पर खर्च किया जा रहा है जबकि रिपेयर इत्यादि के लिए निदेशालय की बजट शाखा द्वारा सम्बन्धित जिला अधिकारियों की समय-समय पर मांग अनुसार अलग से राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी भविष्य में निदेशालय द्वारा अंशुदित राशि केवल उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जाये जिस उद्देश्य हेतु अंशुदित की जाती है।


  
सहायक निदेशक लेखा (फील्ड)  
कृते: महानिदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।

पृष्ठाकन कमांक सम

दिनांक पंचकूला: 25.01.2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पी0एस0/महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. सहायक निदेशक, आई0टी0 सैल (विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु)।

  
सहायक निदेशक लेखा (फील्ड)  
कृते: महानिदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।